प्रसार भारती
(भारत का लोक सेवा प्रसारक)
आकाशवाणी : रायबरेली

पत्रांक : राय/पी0टी0टी0/01/2019–20 दिनांक : 27.06.2019

विषय : टैक्सी वाहन किराये पर लेने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आकाशवाणी रायबरेली में उपयोग हेतु टैक्सी वाहन किराये पर लेने हेतु निम्नलिखित शर्तों के आधार पर मोहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं ।

1– निविदा प्रस्तुतकर्ता के पास अपने स्वामित्व और अधिकार में स्थानीय परिवहन विभाग द्वारा 2012 अथवा उसके बाद की पंजीकृत कम से कम दो नान ए0सी0 इंडिका /इंडिगो /बोलेरो तथा निविदा प्रपत्र में वर्णित अन्य वाहन अच्छी हालत में और संतोषजनक सेवा देने योग्य होने चाहिये ।

2– निविदा प्रस्तुतकर्ता फर्म/एजेंसी के पास जी एस टो रजिस्ट्रेशन नं0 एवं आयकर पैन नं0 होना चाहिये । फर्म/एजेंसी को आयकर, जी एस टो संबंधी समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

3– घर एवं कार्यालय में टेलीफोन एवं मोबाइल फोन की सुविधा रखने वाली ट्रैवल एजेंसी ही आवेदन करे । निविदा प्रस्तुत करते समय टेलोफोन/मोबाइल फोन नं0 अवश्य सूचित किये जाने चाहिये साथ ही सेवा अवधि के दौरान यदि टेलीफोन/मोबाइल फोन नं0 परिवर्तित होता है तो इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करानी आवश्यक होगी ।

4– वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रतियॉ निविदा के साथ भेजी जानी चाहिये । वाहन स्थानीय परिवहन विभाग में टैक्सी के रूप में पंजीकृत होने चाहिये । निविदा स्वीकार किये जाने से पूर्व अथवा निविदा स्वीकार होने के उपरान्त, मांगे जाने पर वाहनों का पंजीयन प्रमाण–पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा ।

5– निविदा प्रस्तुतकर्ता को टैक्सी किराये पर देने हेतु दरें केवल निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक –1)में ही प्रस्तुत करनी होंगी । इस प्रकार प्रस्तुत की गयी निविदाओं में से जिस निविदा की दरें केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा स्वीकृत की जायेंगी वे दरें अनुबन्ध की तारीख से एक वर्ष के लिये वैध होगी । इस अवधि को केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा सम्बन्धित फर्म की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है ।

6– टैक्सियों में लगे माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होने चाहिये । यदि टैक्सियों के माइलोमीटर खराब होते हैं अथवा उनको मीटर रीडिंग बैक करवायी जाती है तो इसकी सूचना तत्काल लिखित रूप में कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी । ऐसी सूचना उपलब्ध न कराने पर फर्म से अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों का भुगतान केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली के विवेकाधीन होगा ।

7– उपलब्ध कराये गये टैक्सी वाहन को आकाशवाणी, रायबरेली में निर्धारित समय पर रिपोर्ट करना होगा तथा टैक्सी के माइलोमीटर की ओपनिंग आकाशवाणी रायबरेली के कार्यालय से शुरू होकर क्लोजिंग आकाशवाणी कार्यालय में ही मान्य होगी ।

8– किसी एक अथवा अलग–अलग व्यक्तियों द्वारा यात्रा करने पर लॅाग बुक में उनके द्वारा की गयी यात्रा का विवरण, दूरी का उल्लेख एवं सम्बन्धित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाना फर्म/एजेंसी का दायित्व होगा । अपूर्ण / अहस्ताक्षरित लागबुक स्वीकार नही की जायेगी ।

9– रात्रि चार्जेज दरें केवल उन्हीं अनुबन्धित की गयी टैक्सियों पर लागू होगी जो 2200 बजे से 0500 बजे तक भी कार्य पर रहेंगी अर्थात् रात्रि चार्जेज दरें रात्रि 2200 बजे से प्रातः 0500 बजे तक प्रभावी होंगी ।

शेष पृष्ठ ..2. पर

10– उपलब्ध कराये गये टैक्सी वाहन को चलाये जाने की अवधि में उक्त वाहन या उसके चालक की किसी कारण से दुर्घटना, नुकसान, मृत्यु या क्षति इत्यादि होने पर, साथ ही फर्म/एजेंसी के चालक की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हुए नुकसान टूट–फूट, मृत्यु या चोट लग जाने के लिए आकाशवाणी रायबरेली जिम्मेदार नही होगा । इस प्रकार की किसी घटना/दुर्घटना के लिये फर्म/एजेंसी जिम्मेदार होगी ।

11– आकाशवाणी द्वारा लिए गये वाहन की अपर्याप्त देखरेख के कारण इस केन्द्र के कार्यक्रम सम्बन्धी सामान उपकरणों या अन्य किसी वस्तु के क्षतिग्रस्त होने या किसी कर्मचारी के दुर्घटनाग्रस्त होने के लिये फर्म/एजेंसी जिम्मेदार होगी ।

12– निविदा प्रस्तुतकर्ता को निविदा फार्म के साथ सिक्योरिटी डिपाजिट के रूप में रुपये 3000/– मात्र का बैंक ड्राफ्ट, जो कि आहरण एवं वितरण अधिकारी, आकाशवाणी, लखनऊ के पक्ष में देय हो, जमा करना आवश्यक होगा । निविदा फार्म के साथ यह भी प्रमाण–पत्र देना होगा कि निविदा प्रस्तुतकर्ता को इस प्रकार के कार्य का लगातार 3 वर्षों का अनुभव है ।

13– निविदा स्वीकृत होने के सात दिनों के अंदर फर्म/एजेंसी को रुपये 3,000/– मात्र की प्रतिभूति धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी, आकाशवाणी, लखनऊ के नाम एफ0डी0आर0 के रूप में बंधक रखना अनिवार्य होगा । प्रतिभूति धनराशि जमा न करने तक किसी भी बिल का भुगतान नही किया जायेगा ।

14– आकाशवाणी रायबरेली को अनुबन्धित किये गये वाहन को पहले से सूचित किये गए निर्धारित समय के बाद भी रोकने अथवा निर्धारित समय से पूर्व छोड़ने का अधिकार होगा ।

15– आकाशवाणी रायबरेली द्वारा मांगे जाने पर फर्म/एजेंसी द्वारा वाहनों को समय पर न देने के कारण यदि वाहन अन्य ट्रैवल एजेन्सी से किराये पर लिया जाता है तथा उसका भुगतान अनुमोदित दरों से अधिक होता है तो कुल अन्तर का भुगतान फर्म/एजेंसी से वसूल किया जायेगा ।

16– निविदा स्वीकृत होने के सात दिनों के अंदर फर्म/एजेंसी को निर्धारित फार्म में एक अनुबन्ध करना होगा जो कि अनुबन्ध की तिथि से एक वर्ष के लिये वैध होगा । फर्म/एजेंसी किन्ही परिस्थितियों में अनुबन्ध तोड़ना चाहे तो उसे केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणो रायबरेली को 30 दिन पहले सूचित करना आवश्यक होगा ।

17– फर्म/एजेंसी द्वारा अनुबन्ध में दी गयी शर्तों का अनुपालन न करने पर केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली को बिना किसी सूचना के अनुबन्ध रद्द करने का अधिकार होगा । अनुबन्ध में दी गयी शर्तों के सम्बन्ध में किसी विवाद की स्थिति में केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

18– फर्म/एजेंसी की जिम्मेदारी होगी कि वह देखे कि चालक किसी भी परिस्थिति में वाहन को खराब हालत में, ड्रग्स अथवा किसी भी प्रकार के नशे की हालत में न चलाए, चालक के पास वैध कामर्शियल लाइसेंस, वाहन के वैद्य कागजात, इंश्योरेन्स इत्यादि हो । चालक को विनम्र तथा समय का पाबंद होना चाहिये । चालक के आचरण के प्रति भी फर्म/एजेंसी उत्तरदायी होगी । यदि ड्राइवर द्वारा वाहन नियमों को तोड़ने के कारण चालान हो जाता है और यदि ड्राइवर पर कोई दण्ड लगाया जाता है तो उसके लिये फर्म/एजेंसी जिम्मेदार होगी ।

19– एजेन्सियों/फर्मो द्वारा पूर्ण की हुई मोहरबन्द निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट अथवा हाथो–हाथ इस प्रकार प्रेषित की जानी चाहिए कि ये निम्नलिखित पते पर दिनांक 26/07/2019 को अपराह्न 03 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाये।

''केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, 18, विधान सभा मार्ग, लखनऊ–226001''

20– निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् फर्म/एजेंसी द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुरूप कार्य न करने के कारण यदि निविदा को निरस्त करने के पश्चात नयी निविदाएं आमंत्रित की जाती है तो हर्जाने के रूप में फर्म/एजेंसी द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनराशि केन्द्राध्यक्ष आकाशवाणी रायबरेलो द्वारा जब्त की जा सकती है ।

21– प्राप्त निविदायें दिनांक 26/07/2019 को अपराह्न 04 बजे केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, लखनऊ के कक्ष में केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली के समक्ष सम्बन्धित एजेन्सियों के प्रतिनिधि जो भी उस समय उपस्थिति होना चाहेंगे की उपस्थिति में खोली जायेंगी।उपस्थित रहने वाले निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधियों को पहचानपत्र भी लाना आवश्यक होगा।

शेष पृष्ठ ..3. पर

22– केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली को यह अधिकार होगा कि निर्धारित मानक से कम निविदा प्राप्त होने की दशा में अथवा मानक स्तर तक निविदाएं प्राप्त होने पर भी वह बिना कारण बताये किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते है ।

23– केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार कर सकते है साथ ही वे न्यूनतम निविदा को भी स्वीकार करने के लिये बाध्य नही होंगे ।

24– आकाशवाणी, रायबरेली द्वारा आयोजित होने वाले आयोजनों पर फर्म को इस केन्द्र की आवश्यकतानुसार इस केन्द्र द्वारा अनुमोदित की गई दरों पर ही वाहन उपलब्ध करवाने होंगे । विशेष आयोजनों पर मॉगे जाने वाले वाहनों की संख्या 02 से अधिक हो सकती है । आवश्यक वाहन समय से उपलब्ध न करवाने पर यदि वाहन अन्य ट्रैवेल एजेन्सी से किराये पर लिया जाता है तथा उसका भुगतान अनुमोदित दरों से अधिक होता है तो कुल अन्तर का भुगतान फर्म/एजेंसी से वसूल किया जायेगा ।

25– इस सम्बन्ध में किसी भी विवाद की स्थिति में केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा ।

26– किसी प्रकार के न्यायिकवाद की स्थिति मे न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा ।

भवदीय,

राधे श्याम
सहायक निदेशक(अभि0)
कृते उपमहानिदेशक(अभि0)/केन्द्राध्यक्ष

–:0:–

Annexure - 1

Prasar Bharati
Broadcasting Corporation of India
All India Radio, Budhanpur, Amawan Road
Raebareli-229001

Proforma for rates for hiring of Taxi (6+1seater,Bulero)

Sl. No.	Description	Amount in Rs.
1.	Fixed Monthly Charges for the Vehicle (upto 2500 Kms. In a month from 6.00 AM to 11.00 PM)	
2.	Charges for each Km. beyond 2500 Kms.	
3.	Charges for each extra hour beyond 6.00 AM to 11.00 PM	
4.	Night Charges Per Day	

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं अपने स्वामित्व या अधिकार में वर्ष 2012 के बाद पंजीकृत टैक्सी (कम से कम 02 डीजल इन्डिका/इन्डिगो/बोलरो तथा अन्य उपरोक्त वाहन) रखता हूँ, एवं आवश्यकता पड़ने पर आधे घंटे के अन्दर उपरोक्त वाहन उपलब्ध करवा सकता हूँ । मैने किराये पर टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु आकाशवाणी, लखनऊ द्वारा निर्धारित शर्तों को अच्छी तरह समझ लिया है और उनसे सहमत हूँ । मेरे कार्यालय तथा निवास पर टेलीफोन व मोबाइल फोन उपलब्ध है ।

दिनांक :

हस्ताक्षर :

फर्म/एजेंसी का नाम :

पता :

मोबाइल नं0 :

फर्म/एजेंसी की मुहर :

आकाशवाणी, रायबरेली में किराए पर टैक्सी वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का विवरण

1. फर्म /एजेन्सी का नाम : ....
2. फर्म /एजेन्सी का पत्राचार का पूरा पता : ....
....
....
3. फर्म /एजेन्सी की सेवाकर पंजीकरण संख्या : ....
4. फर्म /एजेन्सी का आयकर पैन नम्बर : ....
5. फर्म /एजेन्सी के स्वामी का पूरा नाम : ....
(अन्य साझीदार होने पर उनका भी पूरा नाम सूचित करें) ....

6. फर्म /एजेन्सी के नाम उपलब्ध बैंक एकाउन्ट का विवरण :

बैंक का नाम	शाखा	एकाउन्ट नम्बर	एकाउन्ट का प्रकार

7. सिक्यूरिटी डिपोजिट ड्राफ्ट का विवरण :

बैंक का नाम	शाखा	संख्या व दिनांक	मूल्य

8. फर्म /एजेन्सी के स्वामित्व में चालू / अच्छी स्थिति में उपलब्ध टैक्सी वाहनों का विवरण ––

क्र सं.	वाहन का प्रकार	मेक	माडल	पंजीकरण संख्या	स्वामित्व

9. फर्म / एजेन्सी के पास किराए पर टैक्सी वाहन संचालन का अनुभव : ....वर्ष, ... महीने

10. फर्म / एजेन्सी के पास उपलब्ध टेलीफोन/ मोबाइल फोन नम्बर ——

कार्यालय		आवास	
टेलीफोन नम्बर	मोबाइल नम्बर	टेलीफोन नम्बर	मोबाइल नम्बर

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी फर्म / एजेन्सी से सम्बन्धित क्रम संख्या 01 से 10 तक प्रस्तुत विवरण पूर्णतः सत्य है । उपलब्ध कराये गये विवरण में से कुछ भी किसी स्तर पर असत्य पाये जाने पर प्रस्तुत की जाने वाली निविदा निरस्त की जा सकती है एवं निविदा स्वीकृत हो जाने पर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है साथ ही फर्म/ एजेन्सी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है । मैं यह भी वचन देता हूँ कि अनुबन्ध की अवधि में प्रस्तुत विवरण में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में मैं केन्द्राध्यक्ष, आकाशवाणी, रायबरेली को अविलम्ब सूचित करुंगा ।

दिनांक : हस्ताक्षर ....

स्थान : नाम ....

मोबाइल नं. ....

फर्म/एजेन्सी की मुहर